UPSR010014162026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी–सौरभ सक्सेना, (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D – UP–1753

जमानत आवेदन संख्या–564/2026

अशोक कुमार पुत्र लोधे उम्र–30 वर्ष निवासी ग्राम–सेमरापुरवा, दा०–कल्यानपुर, थाना–सोनवां, जनपद–श्रावस्ती। ––––––– आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

1–राज्य उत्तर प्रदेश सरकार।

2– वादी मुकदमा सुन्दरलाल पुत्र आज्ञाराम निवासी ग्राम–सेमरापुरवा, दा०–कल्यानपुर, थाना–सोनवां, जनपद–श्रावस्ती।

3– बाल कल्याण समिति, जिला–श्रावस्ती।

4– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती।

––––– .अभियोजक/वादी।

दिनांक–20–07–2026

प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त अशोक कुमार द्वारा अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–55/2026 धारा–137(2),87,65(1) बी०एन०एस० व धारा–3/4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना–सोनवा, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी सुन्दरलाल पुत्र आज्ञाराम ने थानाध्यक्ष–सोनवा को तहरीर दिनांक–28–04–2026 को इस आशय से दी कि दिनांक–27–04–2026 को समय लगभग 7:00 बजे शाम उसकी लड़की पीडिता उम्र–16 वर्ष शौच जाने की बात कहकर खेत की तरफ गयी थी। वहीं से विपक्षी अशोक पुत्र लोधे उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। उसकी लड़की को भगवाने में बांके व सहजू व कन्टूलाल का सहयोग है।

वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–सोनवा में अभियुक्त अशोक सहित 03 अन्य मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–55/2026 धारा–137(2)बी०एन०एस० पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा अभियुक्त अशोक के विरूद्ध धारा–137(2),87,65(1) बी०एन०एस० व धारा–3/4(2) पॉक्सो एक्ट का आरोप पत्र प्रेषित

Digitally signed by SAURABH SAXENA
Date: 2026.07.20 16:54:20 IST
Reason: ASJ (Excl. POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

किया गया।

जमानत आवेदन/शपथ पत्र में आवेदक/अभियुक्त ने यह अभिकथित किया है कि वह दिनांक–10–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त को फर्जी एवं असत्य तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया है। घटना की प्राथमिकी में कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का नाम का उल्लेख नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को मौके से पकड़ा नहीं गया है। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 व 183 बी०एन०एस०एस० के बयान में अभियुक्त से दो साल से फोन पर बात करने एवं अभियुक्त से शादी करने हेतु करने और अभियुक्त के साथ अपनी मर्जी से बहराइच जाने का कथन किया है। अभियुक्त शादीशुदा व्यक्ति है और उसकी पत्नी विगत 07 वर्ष से उसके साथ रह रही है। कुछ महीने पहले आवेदक/अभियक्त व अभियोगी के बीच जानवरो को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश में प्रश्नगत मुकदमा लिखा दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियक्त जमानत देने का तैयार है। अतः आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात जमानत की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करेगा।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की आर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) की बहस को सुना और पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्त ने दौरान बहस जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों एवं तर्कों को दोहराया है और अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। जबकि राज्य की आर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने दौरान बहस यह तर्क दिया है कि पीड़िता अवयस्क है। आवेदक/अभियुक्त पीड़िता को बहला फुसलाकर व्यपहृत कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जघन्य एवं अजमानतीय है। जमानत का विरोध करते हुए जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पीडिता के शैक्षिक अभिलेखों में पीडिता की जन्मतिथि 11–04–2011 अंकित है। जिसके अनुसार घटना दिनांक को पीडिता की आयु 15 वर्ष 16 दिन होती है। विवेचक द्वारा पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में उसका मेडिकल कराया है, जो पत्रावली में संलग्न है। सी०एम०आ०, श्रावस्ती द्वारा पीड़िता के एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर **पीड़िता साधना की आयु लगभग 17 वर्ष निर्धारित की गयी** है।

पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा–180 व 183 बी०एन०एस०एस० में

अभियुक्त से लगभग दो साल से फोन पर बात करने एवं अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ शादी हेतु जाने एवं अपनी मर्जी से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होने का कथन किया है। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन०एस०एस० में बताया है कि उसकी मम्मी ने उसे मारा पीटा था, जिस कारण वह घर से अकेले खेत पर गयी और पूरी रात खेत में रहीं। पीडिता अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ गयी थी। पीडिता की उम्र मेडिकल परीक्षण के अनुसार घटना के समय लगभग 17 वर्ष थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी दर्शित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–10–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र लोधे का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त मामले में मु० 50,000/– (पचास हजार रूपये) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू तथा इस आशय की अण्डर टेकिंग कि अभियुक्त विचारण के दौरान अनुपस्थित नहीं होगा, भारत छोडकर नहीं जायेगा, न्यायालय का जब भी आदेश होगा उपस्थित होगा, गवाहान के आने पर जिरह करेगा, गवाहान पर पक्षद्रोही होने दबाव नहीं देगा, आरोप एवं बयान अन्तर्गत धारा–351 बी०एन०एस०एस० के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा के प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

आदेश की प्रति सम्बन्धित कारागार को ई–मेल के माध्यम से अविलम्ब भेजी जाये।

दिनांक–20–07–2026

(सौरभ सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम) श्रावस्ती।